



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1085 वर्ष 2026

नाथू एवं 21 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अचल सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रतिकार हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"1. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा अभिलेख मंगवाते हुए पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 6162 वर्ष 2025, एस.ए./2571/2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या एएल 20250719002571) अंतर्गत धारा 208, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में सत्य नारायण बनाम नाथू एवं अन्य के मध्य, में प्रारम्भ की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-2 को निर्देशित किया जाए कि वह उक्त पुनर्विलोकन आवेदन का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थागण को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्तागण को उनके अंश के अनुसार उनके भूखंडों का कब्जा पुनः प्रदान करें।

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत प्रत्यर्था संख्या-4 के पिता द्वारा दाखिल वाद को एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री द्वारा अवैध एवं मनमाने ढंग से डिक्रीत किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध पुनर्स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया। पुनर्स्थापना आवेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री तथा पुनर्स्थापना आवेदन को निरस्त करने वाले आदेश को अपास्त कर दिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निजी प्रत्यर्था द्वारा राजस्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दी गई। इसके पश्चात् राजस्व परिषद द्वारा गुण-दोष के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्था संख्या-4 द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे ग्रहण कर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत पुनर्विलोकन कार्यवाही को निरस्त किया जाए तथा राजस्व परिषद द्वारा द्वितीय अपील को गुण-दोष के आधार पर निरस्त करने वाले आदेश को यथावत् बनाए रखा जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनर्विलोकन आवेदन को ग्रहण किए जाने वाले आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है तथा याचिकाकर्तागण को राजस्व परिषद के समक्ष लंबित पुनर्विलोकन कार्यवाही में सहभाग करने का अवसर प्राप्त है, अतः इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्था संख्या-4 द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है।

7. पुनर्विलोकन अधिकारिता के प्रयोग के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्व परिषद को उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 220 तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2006 की धारा 211 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की अधिकारिता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 211 का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नवत् है:-

**"211. परिषद की पुनर्विलोकन शक्ति- (1) परिषद स्वयं या किसी अभिरुचि रखने वाले पक्षकार के आवेदन पर अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी तथा उस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।**

**(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों को छोड़कर नहीं किया जाएगा—"**

**(ए) किसी नवीन एवं महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य की खोज होने पर;**

**(बी) अभिलेख के पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर किसी भूल या त्रुटि के होने पर;**

**(सी) कोई अन्य पर्याप्त कारण होने पर।**

**(3) पुनर्विलोकन पर पारित आदेश का पुनः पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा।**

**(4) उपधारा (1) के अंतर्गत किसी आदेश के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन ऐसे आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।"**

8. उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत लंबित पुनर्विलोकन आवेदन का निस्तारण विधि अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, **वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, राजस्व परिषद, उक्त पुनर्विलोकन आवेदन का निस्तारण विधि अनुसार यथाशीघ्र, यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के अन्तर्गत करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा राजस्व परिषद के समक्ष लंबित पुनर्विलोकन आवेदन के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।

**17 मार्च, 2026**

पीएस\*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।